

इटावा पुलिस द्वारा 9 वर्ष से अवैध शराब की तस्करी के अभियोग में फरार वांछित व 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा 25000 रुपये के इनामी तथा 9 वर्ष से फरार वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2012 को थाना इकदिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत विरारी नगला पूठ को जाने वाले बंबा के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर एसओजी टीम इटावा व थाना इकदिल पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को 02 डीसीएम से 750 अवैध शराब की पेटी सहित गिरफ्तार किया गया था एवं अन्य 03 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये थे । उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना इकदिल पर मु0अ0स0 331/2012 धारा 60 आबाकारी अधि0 व 420,467,468,472 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था । फरार अभियुक्तों में से 02 अभियुक्त लल्ला और दिलीप को इटावा पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं बरामद गाडी के संबंध में जांच की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि उक्त गाडी पर पंजीकृत नम्बर फर्जी है तथा इंजन के चैचिस नम्बर से गाडी के वास्तविक स्वामी का नाम हरेन्द्र वर्मा पुत्र लेखराज वर्मा निवासी इंद्रपुरी थाना किशनगंज जनपद इंदौर मध्य प्रदेश ज्ञात हुआ एवं पुलिस को पता चला कि उक्त गाडी के द्वारा अभियुक्त हेमंत वर्मा शराब की तस्करी करता था तथा विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आये कि अभियुक्त हेमंत द्वारा गाडी एमपी 09 केडी 8948 को जनपद इंदौर में चोरी दिखाकर थाना लूसियार्ड पर अभियोग पंजीकृत कराकर इश्योरेन्स भी ले लिया गया था । विवेचना के दौरान थाना लूसियार्ड पर पंजीकृत अभियोग को वेरिफाइड किया गया तो वाहन चोरी का ऐसा कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं पाया गया था ।

उक्त शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25000 का इनाम घोषित किया गया था । जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयारत थी ।

आज दिनांक 04.06.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर इनामियाँ/वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया । जिसमें समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने- अपने थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी । इसी के क्रम में थाना इकदिल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर गस्त की जा रही थी ,तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली की थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 331/2012 धारा 60 आबाकारी अधिनियम व 420/467/468/472 भादवि से सम्बन्धित 25000 रुपये पुरस्कार घोषित अभियुक्त आज ग्राम इंद्रपुरी थाना किशनगंज जनपद इंदौर मध्य प्रदेश से इटावा आ रहा है मुखबिर की सूचना पर थाना इकदिल पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सघनता से चैकिंग अभियान चलाया गया सटीक सूचना के आधार पर अभियुक्त को मानिकपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया ।

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से नाम-पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हेमंत वर्मा पुत्र लेखराज वर्मा बताया गया जोकि थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 331/2012 धारा 60 आबाकारी अधिनियम व 420/467/468/472 भादवि से सम्बन्धित 25000 रुपये पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. हेमंत वर्मा पुत्र लेखराज वर्मा निवासी इंद्रपुरी थाना किशनगंज जनपद इंदौर मध्य प्रदेश।

पुलिस टीम:- श्री जीवाराम यादव प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल ,उ0नि0 ललित कुमार सिंह, उ0नि0 अनुभव चौधरी ,का0 मयंक शर्मा

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा

